संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) 25-10-87 को विचाराधीन आवेदन पत्रों की संख्या 2297 है।

(ख) उपर्युक्त आवेदन पत्रों का वर्ष-वार ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

1.	1985 से पहले के लंबित	635
2.	1985 के दौरान	488
3.	1986 के दौरान	604
4.	1987 के दौरान (25-10-87 तक)	570
	योग :	2297

(ग) बारी आने से पहले प्रदान किए गए टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या इस प्रकार है :—

1.	1985	52
2.	1986	34
3.	1987	92

संसद सदस्यों को रेलगाड़ियों में मुफ्त यात्रा करने की सुविधा

476. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसी कौन-कौन सी रेलगाड़ियां हैं जिनमें संसद सदस्य अपने परिचय पत्र के आधार पर मुफ्त यात्रा नहीं कर सकते;

(ख) इन रेलगाड़ियों में संसद सदस्यों को इस सुविधा से वंचित करने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार इस प्रतिबन्ध को समाप्त करने का विचार रखती है यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) समय-समय पर यथासंशोधित संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 की धारा 6 में निर्धारित पात्रता के अनुसार संसद सदस्य सभी गाड़ियों में अपने पहचान पत्रों के आधार पर मुफ्त यात्रा कर सकते हैं?

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

Wharfage Charges at Cochin Fisheries Harbour

477. SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state;

(a) whether it is a fact that wharfage charges at the Cochin fisheries harbour has been enhanced and if so, to what extent and the reasons therefor; and

(b) whether a Member of Parliament has written a letter to the Minister urging him to convene a meeting of all concerned, if so, the reaction of Government thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI RAJESH PILOT):

(a) The charges levied on users of Fisheries Harbour at Cochin have been revised w.e.f. 1st September, 1987 for a period of 6 months *as* shown below:

	Pre-revised (prior to 1-9-1987) CBS)	Revised (Rs.)
(i) *Berthing and landing charges for day: -*		
Gill net boats	5.00	6.00
	7.50	9.00
Purseine boats	25.00	30.00
Deep Sea trawler	60.00	100.00